जिला जनसम्पर्क कार्यालय, खूँटी

दिनांक 07.04.2018

<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

उपायुक्त खूँटी, सूरज कुमार के द्वारा नगर भवन, खूँटी में उपस्थित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों, जनवितरण प्रणाली के दुकानदारों एवं सभी गैस एजेंसियो को संबोधित करते हुए कहा कि आप ग्रामीण जनता तक पहुँचने का एक महत्वपूर्ण रिर्सोस पर्सन हैं। आप अपने पोषक क्षेत्रों का सर्वेक्षण करेंगे, जिसमें उस पोषक क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक जाति गणना के आधार पर कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना से आच्छादित किया गया है। साथ ही साथ शौचालय का निर्माण की अद्यतन स्थिति शौचालय का उपयोग के संबंध में सूचि तैयार करेंगे। साथ ही शौचालय के उपयोग के लिए प्रेरित भी करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित आवासो में प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के अन्तर्गत गैस की आपूर्ति, शौचालय का निर्माण, विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित होने से ही पूर्ण आवास बनेगा। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस का वितरण एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण के दौरान आर्थिक, सामाजिक जनगणा के आधार पर अहर्त्ता रखने वाले जिन लाभूकों का बैक अकाउंट खोला नहीं गया है या आधार कार्ड नहीं बना है या KYC नहीं भरवाया गया है उनकी सूचि तैयार कर प्रखंड विकास पदाधिकारी को देगें, ताकि कैम्प लगाकर अभियान मोड में आधार कार्ड बनवाया जा सके, बैक अकाउंट खोला जा सके तथा KYC भरवाया जा सके। इस बैठक में उप विकास आयुक्त, जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं विभिन्न प्रखंडो से आए पी0डी0एस0 डीलर उपस्थित थे।

जिला जनसम्पर्क कार्यालय, खूँटी

दिनांक 07.04.2018

प्रेस विज्ञप्ति

आगामी नगरपालिका निर्वाचन–2018 को स्वच्छ शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त तरीके से सम्पन्न कराने हेतु शस्त्र नियमावली–1962 के नियम 63 एवं शस्त्र अनुज्ञप्ति की शर्त–9 के तहत् दिनांक 11.04.2018 से 12.04.2018 को 10 बजे पूर्वाह्न से 2 बजे अपराह्न तक खूँटी थाना में शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों की सभी प्रकार के शस्त्र एवं अनज़्ञप्ति का भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों की अनुज्ञप्ति के सत्यापन हेतु श्री विजय कुमार, अंचल अधिकारी, खूँटी एवं श्री अहमद अली, थाना प्रभारी, खूँटी थाना को प्रतिनियुक्त एंव प्राधिकृत किया जाता है। प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी/थाना प्रभारी अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्रों का सत्यापन विहित प्रपत्र में करेंगे। वैसे अनुज्ञप्तिधारी जिनका शस्त्र किसी थाना/दूकान आदि में पूर्व में जमा हो तो शस्त्र जमा करने संबंधी कागजात प्रस्तुत करेंगे साथ ही वैसे अनुज्ञप्तिधारी जो जमानत पर है अथवा जिनका आपराधिक इतिहास रहा हो अथवा गत चुनाव में दंगे वगैरह फैलाने से संलिप्त रहें हो उनका शस्त्र जमा करा जिया जाय। इसे थाना प्रभारी, खूँटी सुनिश्चित करेंगे। शस्त्रों के सत्यापन संबंधी संयुक्त प्रतिवेदन दिनांक 14.04.2018 तक अनुज्ञप्तिधारीवार कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।